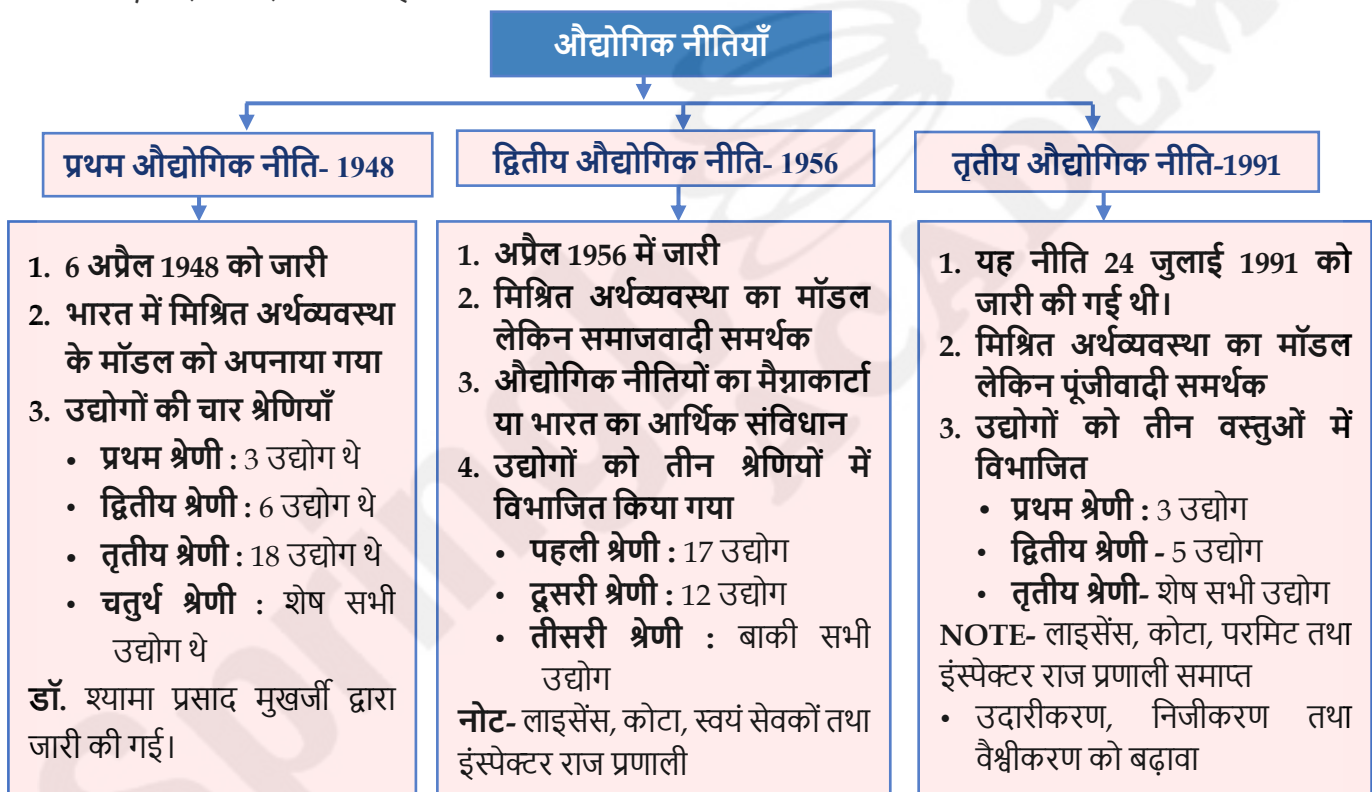


- औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 24.3% है।

औद्योगिक नीतियाँ

- भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ाने हेतु समय-समय पर औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई हैं।
- औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की कार्ययोजना प्रस्तुत करती हैं।
- औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है एवं औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा प्रदान करती है।



प्रथम औद्योगिक नीति- 1948

- भारत की प्रथम औद्योगिक नीति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई।
- इस नीति से यह निर्धारित हुआ कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होगी।
- इस नीति में उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया।

प्रथम श्रेणी-

- इसमें 3 उद्योगों को रखा गया, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।
- ये सामरिक महत्व के उद्योग थे। जैसे अस्त्र-शस्त्र व युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे

द्वितीय श्रेणी-

- इसमें बुनियादी क्षेत्र के 6 उद्योगों को रखा गया।
- इसमें नए निजी निवेश की अनुमति नहीं थी। किंतु पहले से चले आ रहे निजी उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई थी। यदि सरकार चाहे तो 10 वर्षों के बाद इनका राष्ट्रीयकरण कर सकती थी।
- नया निवेश केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है। जैसे कोयला, लौह-इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण।

तृतीय श्रेणी-

- इसमें 18 उद्योगों को रखा गया था।
- ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित थे किंतु इन पर सरकार का नियंत्रण था। जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि उद्योग।

चतुर्थ श्रेणी-

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।
- ये उद्योग निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला था। अर्थात् इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सामान्यतः यह उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योग थे। निजी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार इनका उत्पादन करते थे।

द्वसरी औद्योगिक नीति 1956

- इसे 'नेहरू-महालनोबिस मॉडल' नाम से भी जाना जाता है
- इस नीति के तहत देश में पहली बार उद्योगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई जो अपने आप में पहली बार विस्तृत सुधार थे।
- इसीलिए इसे औद्योगिक नीतियों का मैग्राकार्टा या भारत का आर्थिक संविधान के नाम से भी जाना जाता है।

इसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया था-

1. भारी और मशीन निर्माण उद्योग का विकास।
2. सार्वजनिक क्षेत्र का विकास।
3. विशाल और बढ़ते सहकारी क्षेत्र की स्थापना।

4. निजी क्षेत्र में स्वामित्व व प्रबंधन के प्रसार को प्रोत्साहन ।
5. इस नीति में रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया।

इसमें उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

प्रथम श्रेणी के उद्योग

- इसमें कुल 17 उद्योग थे, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थे।
- मुख्यतः इनमें सुरक्षा, खनन, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग थे, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।
- इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से जाना जाता है।

द्वितीय श्रेणी के उद्योग

- इसने 12 उद्योगों को शामिल किया गया था।
- यह ऐसे उद्योग थे जिन पर सरकार पहल करेगी यदि संभव हुआ तो निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी विकसित किया जाएगा, किंतु निजी निवेश को लाइसेंस, कोटा, परमिट तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। जैसे दवा, रसायन, उर्वरक इत्यादि।

तृतीय श्रेणी के उद्योग

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।
- इसमें केवल निजी क्षेत्र काम करते थे, किंतु ये सरकार के नियंत्रण में होते थे।
- स्थापना हेतु सरकार से लाइसेंस व परमिट लेना होता था तथा इनमें कोटा निर्धारित किया गया और सरकारी इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण की शुरुआत की गई।
- इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना था।

कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश

इस्पात संयंत्र	सहयोगी देश	स्थापना वर्ष
भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़)	सोवियत संघ रूस	1955
राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा)	जर्मनी	1959
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	यू.के.	1959
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड)	सोवियत संघ रूस	1964

तृतीय औद्योगिक नीति-1991

- यह नीति 24 जुलाई 1991 को जारी की गई। इसे राव-मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है।
- 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
- अब राज्य उत्पादनकर्ता के स्थान पर प्रेरक राज्य की भूमिका में आ गया।
- लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया और विभिन्न उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
- 1991 की औद्योगिक नीति में वित्तीय नियंत्रण को भी समाप्त किया गया। अब भारतीय उद्योग बैंकों से ऋण लेने के अलावा अन्य स्रोतों से भी ऋण ले सकते थे। जैसे शेयर बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधारी (E.C.B.), म्युचुअल फंड इत्यादि।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोला गया।
- अब आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया।
- भारतीय उद्योगपतियों को भी विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी गई।

इस औद्योगिक नीति में भी उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया गया था।

प्रथम श्रेणी

- सरकार के एकाधिकार वाले 3 उद्योग- 1. परमाणु ऊर्जा 2. प्रमाण ऊर्जा अनुसंधान 3. रेल सेवा।
- हालांकि धीरे-धीरे इनमें भी छूट दी जा रही है जैसे रेलवे आधारभूत संरचना विकास में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

द्वितीय श्रेणी

- इसमें 5 उद्योग शामिल किए गए हैं, जिनका उत्पादन तो कोई भी कर सकता है। किंतु इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- ये उद्योग हैं-
 1. अल्कोहल युक्त पेय व शराब बनाना
 2. सिगरेट, तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित उत्पाद
 3. इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण तथा एयरोस्पेस
 4. बारूद, माचिस, औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोटक फ्यूज उद्योग
 5. खतरनाक रसायन

तृतीय श्रेणी

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया जिनके उत्पादन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- इस प्रकार इस नीति में उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया।

नीति के परिणाम:

1. औद्योगिक विकास तथा जीडीपी में वृद्धि।
2. विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि इसके तहत FDI और FPI दोनों में वृद्धि हुई है।
3. विदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया, जिससे उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।
4. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि वर्तमान में लगभग 725 बिलियन डॉलर।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई।
6. बुनियादी ढांचे का विकास हुआ।
7. गरीबी में कमी आई है
8. रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- IIP किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में किसी खास अवधि में उत्पादन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन NSO द्वारा इस सूचकांक के आंकड़े हर माह जारी किए जाते हैं।
- ये आंकड़े आधार वर्ष के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी के संकेत देते हैं।
- इसका आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 कर दिया गया है।
- यह सूचकांक उद्योग क्षेत्र में हो रही संवृद्धि को बताने का सबसे सरल तरीका है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विनिर्माण, खनन तथा विद्युत क्षेत्र की 407 मदों के उत्पादन के आधार पर मापा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा भारांश विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया है।

क्षेत्र	भारांश
विनिर्माण	77.63%
खनन	14.37%
विद्युत	7.99%

उपयोग के आधार पर इन 407 मदों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है:

भाग	भारांश
1. प्राथमिक या बुनियादी वस्तुएं	34.1%
2. पूंजीगत वस्तुएं	8.2%
3. मध्यस्थ वस्तुएं	17.2%
4. विनिर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुएँ	12.3%
5. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	12.8%
6. गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	15.3%

कोर उद्योग

- आठ प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है।
- ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनके विकास से अन्य उद्योगों का विकास होता है।
- IIP Index में इन उद्योगों का भारांश 40.27% है।
 1. रिफाइनरी = 28.04%
 2. विद्युत = 19.85%
 3. इस्पात = 17.92%
 4. कोयला = 10.33%
 5. कच्चा तेल = 8.98%
 6. प्राकृतिक गैस = 6.88%
 7. सीमेंट = 5.37%
 8. उर्वरक = 2.63%

भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

1. सीमेंट :

- चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।

2. इस्पात :

- औद्योगीकरण और अवसंरचना की रीढ़
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है।
- हालांकि भारत लौह अयस्क में काफी हद तक आत्मनिर्भर है, लेकिन उद्योग आयातित कोकिंग कोयले पर अत्यधिक निर्भर है।

3. कोयला :

- पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार
- दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता
- कुल बिजली उत्पादन का 74 प्रतिशत

4. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स :

- पेट्रोलियम शोधन और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के साथ मजबूत पूर्ववर्ती संबंध, साथ ही कई अनुगामी उद्योगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध।

5. पूंजीगत वस्तुएं : घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार और घरेलू निवेश गतिविधियों को मजबूत करने में सहायक।

6. वाहन :

- भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार और यात्री वाहनों (पीवी) और वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) के लिए विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है।
- 3 करोड़ रोजगार प्रदान करता है और सरकारी करों में प्रमुख योगदानकर्ता है।
- सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा दे रही है।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स :

- निर्यात और घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।
- शुद्ध आयातक से विश्व के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बनने की ओर अग्रसर भारत में अब 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं, जो 2014 में केवल दो इकाइयों से एक महत्वपूर्ण छलांग है।

8. दवा उद्योग

- आयतन के हिसाब से भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जो वैश्विक जेनेरिक दवाओं की मांग का लगभग 20 प्रतिशत पूरा करता है और भारत वित्त वर्ष 2025 में 191 देशों को निर्यात कर रहा है।
- सरकार थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

9. वस्त्र उद्योग :

- सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता (4.5 करोड़ रुपये)
- निर्यात में योगदान
- मुख्य रूप से कपास पर आधारित

❖ **MSME का महत्व**

- सकल घरेलू उत्पाद में योगदान : लगभग 30%
- निर्यात में योगदान : लगभग 45%
- रोजगार : 28 करोड़ से अधिक
- विनिर्माण में योगदान : लगभग 36%
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एकीकरण : प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी को सक्षम बनाने और स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- समावेशी और क्षेत्रीय विकास

❖ **MSME की प्रमुख समस्याएं**

- अधिकांश MSME अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
- कम निवेश
- वहनीय और त्वरित ऋण का अभाव। बड़ा ऋण अंतराल (20-25 लाख करोड़)
- प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन
- नियम और अनुपालन का बोझ
- कुशल श्रमिकों की कमी
- भुगतान में देरी
- सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव
- विपणन में कठिनाई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा

❖ **भारत सरकार के प्रयास**1. **वित्तीय सहायता और ऋण की उपलब्धता :-**

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGTMSE) : बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराना। बजट 2025-26 में क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।
- पीएसबी लोन इन 59 मिनट : ऑनलाइन माध्यम से शीघ्र ऋण स्वीकृति।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) : ₹20 लाख तक का ऋण छोटे उद्यमियों को।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड : उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज़्ड क्रेडिट कार्ड। पहले वर्ष में, ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

2. **नियमों में सरलीकरण और डिजिटलीकरण :-**

- उद्यम पंजीकरण (2020) : एकल विंडो और पेपरलेस प्रक्रिया।
- ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस सुधार : अनुपालन बोझ में कमी।

3. **कौशल विकास और रोजगार :-**

- **स्किल इंडिया मिशन व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) :** MSME कार्यबल के लिए कौशल प्रशिक्षण।
- **उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) :** इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति शामिल हैं, के युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

❖ विपणन और निर्यात संवर्धन

- **सार्वजनिक खरीद नीति (2012) :** सरकारी उपक्रमों को 25% खरीद MSME से करना अनिवार्य।
- **MSME चैंपियंस योजना :**
 - इस योजना में 3 उप-योजनाएँ शामिल हैं :-
 - ✓ MSME सस्टेनेबल (ZED – जीरो इफ़ेक्ट जीरो डिफ़ेक्ट)
 - ✓ MSME कॉम्पिटिटिव (लीन)
 - ✓ MSME इनोवेटिव
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना :** व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता।
- **MSME के प्रदर्शन को बढ़ाना और उसे गति देना – RAMP :** यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य MSME की बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है।

❖ भुगतान में देरी का समाधान

- **MSME समाधान पोर्टल :** विलंबित भुगतान की शिकायत दर्ज करने हेतु।
- **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) :** बिल डिस्काउंटिंग और शीघ्र तरलता की सुविधा।
- TReDS एक ऑनलाइन मंच है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2014 में शुरू किया, ताकि एमएसएमई को भुगतानों में देरी से राहत मिल सके।

❖ TReDS कैसे कार्य करता है ?

- MSME बड़े कॉर्पोरेट/PSU को वस्तु या सेवा आपूर्ति करता है
- MSME बिल को TReDS पोर्टल पर अपलोड करता है।
- कॉर्पोरेट/PSU बिल की सत्यता की पुष्टि करता है।
- बैंकों, NBFC और वित्तीय संस्थानों जैसे फाइनेंसर इनवॉइस को डिस्काउंट करने के लिए बोली लगाते हैं।
- MSME को तुरंत भुगतान मिल जाता है (छूट शुल्क घटाकर), और उसे 60-90 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता।
- बाद में फाइनेंसर को भुगतान कॉर्पोरेट/PSU से प्राप्त होता है।

❖ बजट 2026 की घोषणाएँ

- **तीन स्तरीय रणनीति :**
 - (1) **इक्विटी सहायता :-**
 - लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष : 10,000 करोड़ रुपये

- **आत्मनिर्भर भारत कोष** : 2021 में 50,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू किया गया, इसमें 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी।

(2) तरलता सहायता :-

- टीआरईडी का बढ़ा हुआ उपयोग।
- CPSE द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं के लिए
- TReDs को GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) से जोड़ना।
- रियायती बिलों के लिए द्वितीयक बाजार का विकास।

(3) व्यावसायिक सहायता :-

- अनुपालन संबंधी मामलों में MSME की सहायता के लिए 'कॉर्पोरेट मित्र' नामक नए पेशेवर नियुक्त किए जाएंगे।

❖ भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएँ

1. भारत में परिवहन, संचार, बिजली आवास आदि जैसे बुनियादी ढाँचे कमज़ोर हैं।
2. भूमि अधिग्रहण में जटिलता।
3. पर्यावरण कानूनों की जटिलता।
4. भारतीय श्रमिकों में कौशल की कमी।
5. श्रम कानूनों की जटिलता।
6. वित्तीय समावेशन के अभाव में वित्त की उपलब्धता का अभाव और पूँजी की उँची लागत।
7. भारतीयों में उद्यमशीलता की कमज़ोर प्रवृत्ति।
8. भारतीय उद्योग विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।
9. सरकारी प्रक्रियाएँ और नियम बहुत अस्पष्ट हैं।
10. व्यवसाय करने की सुगमता कम है।
11. उँची कर दरें और कर विवाद।
12. अधिकांश उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, इसलिए उत्पादन लागत अधिक होती है।
13. उद्योगों की असंगठित प्रकृति।
14. कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव।
15. उन्नत तकनीक का अभाव।
16. भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि।

भारत सरकार की योजनाएँ

I. मेक इन इंडिया

- **प्रारम्भ** :- 25 सितम्बर 2014, 25 क्षेत्रों का चयन

- **मेक इन इंडिया 2.0 :-** 27 क्षेत्रों का चयन
- **उद्देश्य :-** भारत को एक ग्लोबल डिजाइन और विनिर्माण हब में परिवर्तित करना।
- **लक्ष्य :-**
 1. भारत को विनिर्माण हब में परिवर्तित करना।
 2. विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ नौकरियों का सृजन।
 3. जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना।
 4. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को 'ग्लोबल ब्राण्ड' के रूप में स्थापित करना।
 5. विकास की संधारणीयता सुनिश्चित करना, विशेषकर पर्यावरण के संबंध में।

II. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना :-

- **आरंभ :-** अप्रैल 2020 (तीन क्षेत्र)
- 11 नवम्बर 2020 से (10 क्षेत्र)
- वर्तमान में कुल 14 क्षेत्रों में लागू।
- **उद्देश्य :-**
 - घरेलु विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर जीडीपी का 25 प्रतिशत तक ले जाना।
 - आयात बिलों में कटौती करना।
 - रोजगार सृजन व मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना।
- **प्रावधान :-**
 - योजना के तहत उत्पादन इकाइयों को उनके वृद्धिशील बिक्री पर 4-6% की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- **कुल लाभ = 1.97 लाख करोड़**
- **क्षेत्र :-**
 - **अभी 14 क्षेत्रों में (पहले 10 क्षेत्र) :-**

1. टेक्सटाइल उत्पादन	2. स्टील
3. खाद्य प्रसंस्करण	4. आईटी हार्डवेयर (PLI 2.0 लागू)
5. दवाईयाँ	6. सेल व बैटरी
7. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद व प्रौद्योगिकी उत्पाद	8. सौर फोटोवोल्टिक
9. व्हाइट गुड्स (एसी, एलईडी)	10. ऑटोमोबाइल
11. बिजली का बड़ा सामान	12. नेटवर्किंग एवं दूरसंचार
13. चिकित्सा उपकरण	14. ड्रोन

□ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन :-

- 2025-26 बजट में घोषित।
- यह योजना लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा।
- NMM एक मिशन-आधारित ढांचा है जिसे केंद्र, राज्यों और औद्योगिक समूहों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है।
- पिछली खंडित नीतियों के विपरीत, यह नीति, कार्यान्वयन और शासन को एकीकृत करके भारत को उच्च-तकनीकी विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

➤ लक्ष्य :

1. 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25% करना।
2. 14.3 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
3. 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करना।

□ द्वी आयामी दृष्टिकोण

(A) क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप (आर्कटाइप दृष्टिकोण) :-

- सरकार ने 20-30 प्राथमिकता वाले औद्योगिक समूहों की पहचान की है और उन्हें तीन आर्कटाइप (श्रेणियों) में वर्गीकृत किया है ताकि उन्हें अनुरूप सहायता प्रदान की जा सके।
- विस्तार (विकास इंजन) उन क्षेत्रों में तीव्र विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जहां भारत की पहले से ही मजबूत पकड़ है, जैसे ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स।
- सुधार और रूपांतरण (संरचनात्मक सुधार) उच्च क्षमता वाले लेकिन संरचनात्मक बाधाओं वाले क्षेत्रों में सुधार करना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत वस्तुएं।
- बीज (रणनीतिक नवाचार) रणनीतिक नेतृत्व के लिए भविष्य की तकनीक में निवेश करना, जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल हैं।

(B) व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता (क्षेत्रीय सुधार) :-

- दूसरा पहलू सभी उद्योगों में "व्यापार करने में सुगमता" और लागत में कमी लाने पर केंद्रित है।
- ✓ **बुनियादी ढांचा** : पीएम गतिशक्ति के माध्यम से "प्लग-एंड-प्ले" बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना।
- ✓ **कौशल विकास** : भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित कार्यक्रम।
- ✓ **एमएसएमई सशक्तिकरण** : लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए उनका विस्तार करना।

III. पीएम मित्र पार्क योजना :

- **घोषणा :-** बजट 2021-2022 में।
- **PM-MITRA :-** प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल।
- यह योजना 5F विजन से प्रेरित है (Farm to Fiber to Factory to Fashion to Foreign).
- **अवधि :-** 2027 तक।
- **मंत्रालय :-** वस्त्र मंत्रालय।
- **बजट :-** 4445 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य :-** भारत के वस्त्र उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक अवसरचना सुविधा, वैश्विक स्वीकार्यता, रोजगार सृजन व निवेश आकर्षित करना।
- **विशेषताएँ :-**
 1. भारत के 7 राज्यों में मित्र पार्क-तमिलनाडू, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश में स्थापित होंगे। (पहला - विरूद्ध नगर (TN))
 2. ग्रीन फिल्ड पार्क हेतु अधिकतम 500 करोड़ रुपये व ब्राउनफील्ड पार्कों हेतु 200 करोड़ रुपये की विकास पूंजी सहायता।

IV. स्टार्ट अप इंडिया

- **प्रारंभ :-** 16 जनवरी 2016 दिल्ली से (स्टार्टअप दिवस)
- **उद्देश्य :-** देश में नवाचार व स्टार्टअप हेतु इकोसिस्टम तैयार करना।
- **विभाग :-** DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
- **विशेषताएं :-**
 1. **सरलीकरण एवं प्रारम्भिक चरण :-**
 - स्टार्टअप हेतु स्वप्रमाणन सुविधा
 - मोबाइल ऐप एवं पोर्टल
 - स्टार्टअप इंडिया हब की स्थापना
 - कम लागत पर कानूनी सहायता
 - सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में ढील
 - पैटेंट फीस में 80% कमी
 - 90 दिनों में कारोबार बंद करने के प्रावधान
 2. **समर्थन एवं प्रोत्साहन अनुदान :-**
 - 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से वित्तपोषण
 - 3 साल के लिए कर छूट

3. उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इनक्यूबेशन :-

- स्टार्टअप उत्सवों का आयोजन, अटल नवाचार मिशन का शुभारंभ

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का प्रावधान

V. स्टेण्ड अप इंडिया

- **प्रारंभ :-** 5 अप्रैल 2016 से 2025 तक
- **उद्देश्य :-** महिलाओं व एसटी/एससी वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। (विनिर्माण, सेवा व व्यापार व कृषि क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम/नये उद्यम)
- **उम्र :-** 18 साल से अधिक
- पूर्व में लोन डिफाल्टर नहीं हो
- **प्रावधान :-** देश का प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक 2 लोन देगा -
 1. एसटी/एससी वर्ग को
 2. महिला को
- गैर कृषि क्षेत्र हेतु लोन
- 10 लाख ₹ से 1 करोड़ तक (7 साल में चुकाना)
- संस्था भी ऋण ले सकती है लेकिन 51% शेयर एसटी/एससी व महिलाओं के पास
- परियोजना लागत का 10% स्वयं का योगदान
- बजट 2025 में सरकार ने घोषणा की कि स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के 5 लाख नए उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

❖ श्रम सुधार

1. पृष्ठभूमि :-

- भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित किया जिससे श्रम विनियमन को सरल, तर्कसंगत और आधुनिक बनाया जा सके, व्यापार करने की सुगमता को बेहतर बनाया जा सके, सार्वभौमिक श्रम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और श्रम के औपचारिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
- **प्रभावी तिथि :** 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी।

□ 4 संहिताएं :-

1. वेतन संहिता
2. औद्योगिक संबंध संहिता
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता

1. वेतन संहिता :-

- **सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन :-** सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है (पहले यह केवल कुछ विशिष्ट उद्योगों तक सीमित था)।
- **फ्लोर वेज :-** केंद्र सरकार जीवन स्तर के आधार पर एक "फ्लोर वेज" तय करेगी। राज्यों का न्यूनतम वेतन इससे कम नहीं हो सकता।
- **वेतन की परिभाषा :-** भत्ते कुल वेतन के 50% तक सीमित होंगे। यदि भत्ते 50% से अधिक हैं, तो अतिरिक्त राशि को पीएफ/ग्रेच्युटी गणना के लिए "वेतन" माना जाएगा।
- **लैंगिक समानता :-** समान कार्य के लिए वेतन और भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।
- वेतन समय पर दिया जाना चाहिए और ओवरटाइम के लिए दुगुना वेतन दिया जाना चाहिए।

2. औद्योगिक संबंध संहिता :-

- **ट्रेड यूनियन :-** एकमात्र वार्ताकार यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 51% श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
- **फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) :-** इसे कानूनी मान्यता दी गई है। अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही सामाजिक सुरक्षा लाभ (अनुपातिक रूप से) मिलेंगे।
- **हड़ताल का नोटिस :-** सभी प्रतिष्ठानों के लिए हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है (पहले यह केवल सार्वजनिक सेवाओं के लिए था)।
- **छंटनी और बंदी की सीमा :-** 300 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान (पहले 100) अब सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों की छंटनी कर सकते हैं या यूनिट बंद कर सकते हैं।
- **री-स्किलिंग फंड (पुनः कौशल कोष) :-** नियोक्ताओं को छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए 15 दिनों का वेतन इस फंड में जमा करना होगा ताकि वे नया कौशल सीख सकें।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता :-

- **गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स :-** पहली बार इन्हें कानूनी मान्यता मिली। एग्रीगेटर्स (जैसे उबर, ज़ोमैटो) को सामाजिक सुरक्षा के लिए योगदान (टर्नओवर का 1-2%) देना अनिवार्य है।
- **सार्वभौमिक कवरेज :-** इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र तक पीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) के लाभों का विस्तार करना है।
- **ग्रेच्युटी :-** फिक्स्ड टर्म कर्मचारी (FTE कर्मचारी) अब केवल एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे (आमतौर पर यह पांच साल होती है)।
- **डिजिटलीकरण :-** लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए असंगठित श्रमिकों का आधार-आधारित पंजीकरण होगा।
- **भविष्य निधि (पीएफ) :-** 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य
- **मातृत्व लाभ :-** 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश बरकरार रहेगा

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता :-

- **एकल लाइसेंस :-** प्रतिष्ठानों के लिए कई परिचालन लाइसेंसों की जगह अब केवल एक पंजीकरण और एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- **रात में काम करने वाली महिलाएं :-** महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों (नाइट शिफ्ट सहित) में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा के उपाय किए जाएं।
- **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक :-** परिभाषा का विस्तार किया गया। राशन (PDS) और अन्य लाभों की पोर्टेबिलिटी अनिवार्य की गई है।
- **वार्षिक स्वास्थ्य जांच :-** एक निश्चित आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान है।
- सामान्य कार्य समय प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे है। ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है और इसका भुगतान दोगुना किया जाता है।

□ आधारभूत ढांचा :-

- आधारभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उन बुनियादी भौतिक और संगठनात्मक संरचनाओं और सुविधाओं को संदर्भित करता है जो किसी समाज या उद्यम के संचालन के लिए आवश्यक हैं। यह किसी भी देश के "सहयोग प्रणाली" (support system) के रूप में कार्य करता है।
- यह आर्थिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सहायक प्रणाली की तरह कार्य करता है।
- उदाहरण: सड़कें, रेलवे, पुल, सुरंगें, जलापूर्ति, सीवर, बिजली ग्रिड और दूरसंचार।

➤ प्रकार :-

- ✓ **आर्थिक अवसंरचना :-** सीधे आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है (जैसे: परिवहन, ऊर्जा, संचार)।
- ✓ **सामाजिक अवसंरचना :-** मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है (जैसे: स्कूल, अस्पताल, आवास)।

❖ आर्थिक विकास के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है ?

- **उत्पादकता को बढ़ावा :-** कुशल परिवहन और ऊर्जा प्रणालियां उत्पादन और वितरण की लागत को कम करती हैं।
- **संपर्क (कनेक्टिविटी):** यह उत्पादकों को बाजारों से जोड़ता है (किसानों को शहरों से, कारखानों को बंदरगाहों से), जिससे व्यापार संभव होता है।
- **रोजगार सृजन:** बुनियादी ढांचा परियोजनाएं श्रम-प्रधान होती हैं और निर्माण व रखरखाव के दौरान लाखों नौकरियां पैदा करती हैं।
- **जीवन की गुणवत्ता :-** स्वच्छ पानी, बिजली और स्वच्छता तक पहुंच सीधे कार्यबल (workforce) के स्वास्थ्य और दक्षता में सुधार करती है।
- **निवेश को आकर्षित करना :-** विदेशी और घरेलू निवेशक उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहां विश्वसनीय बिजली, सड़कें और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।
- यह मानव पूंजी के विकास में सहायक है।

❖ **भारत में बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं**

- **वित्तपोषण की कमी :-** बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक धनराशि और उपलब्ध निवेश के बीच भारी अंतर है। बैंक अक्सर रुकी हुई परियोजनाओं के कारण "फंसे हुए कर्ज" (NPAs) के बोझ तले दबे होते हैं।
- **भूमि अधिग्रहण में देरी :-** सड़कों या कारखानों के लिए भूमि का अधिग्रहण भारत में एक जटिल, धीमी और अक्सर विवादित प्रक्रिया है, जिससे परियोजनाओं में भारी देरी होती है।
- **नियामक बाधाएं :-** विभिन्न मंत्रालयों से कई मंजूरी (पर्यावरण, वन, वन्यजीव) मिलने में अक्सर सालों लग जाते हैं, जिससे परियोजनाएं अटक जाती हैं।
- **खराब रखरखाव :-** जबकि नई संपत्तियां बनाई जा रही हैं, मौजूदा सड़कों और पुल अक्सर उपेक्षा का शिकार होते हैं, जिससे गड्ढों और संरचनात्मक विफलताओं जैसी समस्याएं होती हैं।
- **समय और लागत में वृद्धि :-** उपरोक्त देरी के कारण, परियोजनाओं की अंतिम लागत अक्सर आसमान छू लेती है, जिससे वे आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाती हैं।

VI. PM गतिशक्ति योजना

- **अन्य नाम :-** मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- **प्रारंभ :-** 13 अक्टूबर 2021
- **उद्देश्य :-**
 - ✓ बुनियादी ढाँचे की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना।
 - ✓ परियोजना लागत कम करना।
 - ✓ देश की अर्थव्यवस्था में सुधार व रोजगार के अवसर में वृद्धि।
- **प्रावधान :-** देश का प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक 2 लोन देगा -
 1. 22 मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना ताकि परियोजना संचालन की विभागीय रूकावटें दूर की जा सकें। (वर्तमान में 24 मंत्रालय)
 2. काम के दोहराव रोकने व अवसंरचना की योजनाओं हेतु एकल खिड़की प्रणाली बनाना।
- यह योजना 7 कारकों से जुड़ी है- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, माल परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना।

VII. राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन

- **घोषणा :-** अगस्त 2019
- **अवधि :-** 2020 से 2025
- **लागत :-** 111 लाख करोड़
- **उद्देश्य :-**
 - ✓ भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता प्रदान करना।
 - ✓ बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करना।
 - ✓ पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना।

✓ बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण एवं विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

- **वित्त :-** केन्द्र 39%+ राज्य 40%+ निजी 21% = 100%
- **व्यय के प्रमुख क्षेत्र :-** ऊर्जा (24 प्रतिशत), सड़क (19 प्रतिशत), शहरी (16 प्रतिशत) और रेलवे (13 प्रतिशत)
- इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी ब्राउन फील्ड व ग्रीन फील्ड परियोजनाएँ शामिल हैं।
- अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स की सिफारिश पर।

VIII. राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन

- **प्रारंभ :-** 23 अगस्त 2021 से
- **क्रियान्वयन :-** नीति आयोग
- **परिचय :-** वर्ष 2022 से 2025 (4 साल) की अवधि में केन्द्र सरकार की मुख्य सम्पत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्राकरण क्षमता का प्रयोग करना।
- **उद्देश्य :-** सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के माध्यम से अवसंरचना पाइपलाइन हेतु वित्त पोषण, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर सृजित करना।
- **बजट :-** बजट 2025 में परिसंपत्ति मुद्राकरण प्लान (2025 से 2030) की घोषणा की गयी जिसके माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए जायेंगे तथा इसका प्रयोग आधारभूत ढाँचे की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

★ भारतमाला परियोजना

- यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सड़क यातायात की दक्षता (efficiency) को अनुकूलित करना है।
- **लक्ष्य :-** देश के 550 जिलों को न्यूनतम 4-लेन राजमार्गों के माध्यम से जोड़ना और माल ढुलाई की गति में सुधार करना।
- **6 प्रमुख घटक :-**
 - **आर्थिक गलियारे :-** प्रमुख औद्योगिक और उत्पादन केंद्रों को जोड़ना।
 - **अंतर-गलियारा और फीडर मार्ग :-** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ना।
 - **राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार :-** मौजूदा व्यस्त राजमार्गों का विस्तारीकरण (यातायात अवरोधों को दूर करना)।
 - **सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क :-** भारत को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ना।
 - **तटीय और बंदरगाह संपर्क :-** बंदरगाहों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली सड़कें (सागरमाला मार्ग)।
 - **ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे :-** दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी नई उच्च गति वाली सड़कें।

★ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

- **प्रारंभ :-** 2016
- कुल 11 कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)

- बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)
- चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)
- CBIC का कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक विस्तार
- पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा (ECIC) और विशाखापट्टनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)
- ओडिशा आर्थिक गलियारा (OEC)
- हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारा (HNIC)
- हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)
- हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (HBIC)
- दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा (DNIC)
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)



★ सागरमाला कार्यक्रम (बंदरगाह और समुद्री विकास)

- भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा और 14,500 किमी नौगम्य जलमार्गों (navigable waterways) का उपयोग करने के लिए एक 'बंदरगाह-आधारित' विकास कार्यक्रम है।
- **लक्ष्य :-** समुद्र/नदियों के माध्यम से माल ढुलाई करके घरेलू और निर्यात कार्गो के लिए रसद लागत (logistics cost) को कम करना (जो सड़क/रेल की तुलना में सस्ता है)।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र :**
 - ✓ **बंदरगाह आधुनिकीकरण :-** मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार करना और नए गहरे पानी के बंदरगाह विकसित करना।
 - ✓ **बंदरगाह संपर्क :-** बंदरगाहों को भीतरी इलाकों (कारखानों/शहरों) से जोड़ने वाले सड़क और रेल संपर्कों में सुधार करना।
 - ✓ **तटीय समुदाय विकास :-** मछुआरों को कौशल प्रदान करना और तटीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना।
 - ✓ **बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण :-** निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZ) का विकास।